डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस
मु0 उनवान रघुनाथ बनाम राधेश्याम वगै0
दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 138/2013

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है विवादित आराजी खसरा नंबर 1476 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम मई प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ह दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.05.25 को जारी की गई ।

मुहर दस्तखत— 5/5/25

सहायक कलक्टर नदबई

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. रघुनाथ पुत्र मंगल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1. जवाहर पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. गोरध्वजसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. जसमत उर्फ जसमतसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/3/1. पूजा पत्नि जसमत उर्फ जसमतसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3/2. हंस पुत्र जसमत उर्फ जसमतसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3/3. प्रयांशी पुत्री जसमत उर्फ जसमतसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. कश्मीरी वेवा रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/5. कमलेश पुत्री रघुनाथ जाति जाट निवासी मई हाल रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/6. तारा पुत्री रघुनाथ जाति जाट निवासी मई हाल रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सीताराम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. जयसियाराम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. लक्ष्मन सिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. तेजी पुत्र चन्दन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. भगवान सिंह पुत्र चन्दन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. दरोगा सिंह पुत्र बदन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. बनैसिंह पुत्र बदन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. हरीओम पुत्र अतरसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. प्रबंधक पीएनबी शाखा लखनपुर।

प्रतिवादीगण

तरतीवी प्रतिवादीगण

5/5/25

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 16:04:02 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 138/2013
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2013/00213
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.05.2025

1. रघुनाथ पुत्र मंगल जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/1. जवाहर पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. मोरध्वजसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. जसमत उर्फ जसमतसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/3/1. पूजा पत्नि जसमत उर्फ जसमतसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3/2. हंस पुत्र जसमत उर्फ जसमतसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3/3. प्रयांशी पुत्री जसमत उर्फ जसमतसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. कश्मीरी वेवा रघुनाथ जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/5. कमलेश पुत्री रघुनाथ जाति जाट निवासी मई हाल रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/6. तारा पुत्री रघुनाथ जाति जाट निवासी मई हाल रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सीताराम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. जयसियाराम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested

5/5/25

Scanned with OKEN Scanner

4. रामसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. लक्ष्मन सिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

6. तेजी पुत्र चन्दन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. भगवान सिंह पुत्र चन्दन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. दरोगा सिंह पुत्र बदन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. बनैसिंह पुत्र बदन जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. हरीओम पुत्र अतरसिंह जाति जाट निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. प्रबंधक पीएनबी शाखा लखनपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड.(वादी की ओर से)

श्री रामकिशन पूनियां (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय   दावा अंतर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादी एवं प्रतिवादीगण में से कोई ऐसा सख्श नहीं है जो दावा लडने के योग्य नहीं यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम हैं।
2. यह कि आराजी खसरा नंबर 1469 रकबा 0.10, 1474 रकबा 0.11, 1475 रकबा 0.11, 1476 रकबा 0.11 वाके ग्राम मई तहसील नदबई स्थित है। जिसके वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 सहखातेदार हैं। उक्त आराजी में से वादी मनवट से खसरा नंबर 1476 रकबा 0.11 वाके मई पर काबिज है।
3. यह कि वादी के मनबट में आया खसरा नंबर 1476 जिस पर वादी मनबट से खातेदार की तरह काबिज चला आ रहा है, के पूर्व की तरफ पुख्ता सडक मौजूद है जो कि खसरा नंबर 1485 व 1486 में होकर निकली हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 लठ्ठ व पैसे वाले व्यक्ति है जिनमें मन में बदनीयती आ गई है जो अपने लठ्ठ के बल वादी की खातेदारी व खसरा नंबर 1476 रकबा 0.11 वाके मई पर जबरन कब्जा लेने व आराजी में मदाखलत मजाहमत करने पर आमादा रहते है। तथा वादी की उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:14:09 IST
Reason: SelfAttested

5/5/25

Scanned with OKEN Scanner

को जबरन कब्जे लेने के प्रयास में है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वामुकाम मई पर दिनांक 08.07.15 को धमकी दी गई कि अपने लठ्ठ के बल पर जबरन वादी के खेत पर वादी की विवादित आराजी खसरा नंबर 1476 वाके मई पर अपना कब्जा करके रहेंगे तथा वादी द्वारा उक्त आराजी के कुछ हिस्से में बोई गई फसल ज्वार व बाजरा को जोत देकर नष्ट करके रहेंगे। वादी वृद्ध व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण का मुकाबला करने में पूर्णतया अक्षम है। अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

4. अंत में वादी द्वारा प्रार्थना की कि वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जावे कि वे वादी की विवादित आराज़ी खसरा नंबर 1476 रकबा 0.11 है0 वाके मई में किसी प्रकार से मदाखलत मजाहमत न करे तथा वादी को बेदखल न करें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री रामकिशन पूनियां उपस्थित हुऐ। इनकी ओर से जबाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जबाव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संक्षिप्त में निम्नानुसार है7

1. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1476 वाके मई की पैमाईश दिनांक 26.07.2013 को तहसीलदार नदबई के आदेश की पालना में हल्का पटवारी व गठित टीम के द्वारा की गई। जिसमें यह पाया कि खसरा नंबर 1484, 1485, 1486 में मौके पर फसल खडी हुई है व खसरा नंबर 1476 के उत्तर में भी फसल बाई हुई है जबकि रिकॉर्ड में खसरा नंबर 1476 के लिए गेर मुमकिन रास्ता नहीं है। प्रतिवादी ने 08.07.2013 को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। यदि वादीगण के आराजी खसरा नंबर 1484, 1485, 1486 में से होकर रास्ता लेना चाहते हैं तो उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है जबकि वादीगण को उक्त कार्यवाही के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। वादी प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 1484, 1485 और 1486 में होकर रास्ता लेने से पाबंद न करें जबकि प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 1476 से कोई संबंध सरोकार नहीं है। और न ही 1476 में से होकर वादीगण रास्ता देने को बाध्य नहीं है। चूंकि वादीगण खसरा नंबर 1476 तक पहुंच हेतु कोई गैर मुमकिन रास्ता उपलब्ध नहीं है लेकिन उक्त दावा के जरिए वादीगण रास्ता लेने पर आमादा है। इसलिए दबाव [illegible] किया है। जबकि आराजी खसरा नंबर 1484, 1485, 1486 [illegible] अदालत (ग्रामीण में) उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा 1484, 1485, 1486 का संशोधन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested

5/5/25

Scanned with OKEN Scanner

गया है जिसमें चार गट्ठा स्वयं खसरा नंबर 1476 में निकलता हुआ बताकर सही नक्शा तरमीम करने के आदेश दिए गए हैं।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के जबाब दावा के अभिवचनो के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्ननांकित तनकीयात कि गई जो इस प्रकार है।

1. आया विवादित आराजीयात वादपत्र मद संख्या 2 वाके मई जो कि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 सहखातेदार दर्ज है।–
जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।
–जिम्मेवादीगण
3. आया विवादित आराजी मनबट से प्राप्त आराजी है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई संबंध कभी नहीं रहा है।– जिम्मेवादीगण
4. आया प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है। – जिम्मेप्रतिवादीगण
5. आया विवादित आराजी में प्रतिवादी के खसरा नंबर 1484, 1485, 1486 का 4 गट्टा रकबा है जिसके अनुसार ही तरमीम करने के आदेश दिए गए हैं। – जिम्मेप्रतिवादीगण
6. दीगर दादरसी।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम मई प्रदर्श 1 पेश की गई। मौखिक साक्ष्य के रूप में जवाहर पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई एवं मोरध्वज सिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी मई पेश किए गए जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी की गई।

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मौका पर्चा दिनांक 22.07.15, नकल आदेशिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय भरतपुर पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में राधेश्याम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई, रामसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई, जयसियाराम पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई, लक्ष्मण सिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी मई पेश किए

हमने वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया विवादित आराजीयात वादपत्र मद संख्या 2 वाके मई जो कि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 सहखातेदार दर्ज है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2069–72 पेश की गई जिसमें वादी रघुनाथ व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 की खातेदारी का अंकन हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested

5/5/25

Scanned with OKEN Scanner

रहा है जो कि प्रदर्श 1 से बखूबी साबित है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 अनुसार खसरा नंबर 1469, 1474, 1475, 1476 वाके ग्राम मई स्थित है। उक्त आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 की खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होने से वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

3. आया विवादित आराजी मनबट से प्राप्त आराजी है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई संबंध कभी नहीं रहा है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी खसरा नंबर 1476 जो कि वादी के मनबट कब्जेकाश्त में रहा है। तथा प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 1484, 1485 व 1486 है। खसरा नंबर 1485 वाके मई में से होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक निकाली गई है जो कि खसरा नंबर 1476 के पूर्व की ओर है। तथा मौका रिपोर्ट अनुसार 1486 व 1485 में से पक्की सडक निकली हुई है। प्रतिवादीगण खसरा नंबर 1476 पर उक्त सडक की आड में कब्जा करना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादीगण को वादी के कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 1476 में मदाखलत मजामहत करने का कोई अधिकार नहीं है। और न ही मौके व रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी से कभी कोई संबंध सरोकार रहा है। अतः उक्त तनकी वादी के हक में तय की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। तनकी संख्या 3 के निर्णय से यह बखूबी साबित होता है कि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के हक में तय की जाती है।

5. आया विवादित आराजी में प्रतिवादी के खसरा नंबर 1484, 1485, 1486 का 4 गट्टा रकबा है जिसके अनुसार ही तरमीम करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण के आराजी खसरा नंबर 1484 [illegible] 1486 की पैमाईश तहसीलदार नदबई द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेशानुसार टीम गठित कर की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत कैम्प कबई के आदेश दिनांक 30.07.2015 अनुसार [illegible] दुरूस्ती के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रदान किए गए। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र सिद्ध होने के कारण काबिल स्वीकार के है।

अतः आदेश है विवादित आराजी खसरा नंबर 1476 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम मई प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/05/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner